



मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड

ब्लॉक नंबर 7, शक्ति भवन, रामपुर जबलपुर 482008

विद्युत् ब्रह्मोक्ति

कमांक/पूक्षे/वाणिज्य/राजस्व/ 603
प्रति,

दिनांक 5/04/18

मुख्य अभियंता (ज.क्षे./सा.क्षे./री.क्षे.)
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.
जबलपुर/सागर/रीवा


विषय— विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 138 एवं 126 के अंतर्गत लंबित प्रकरणों में छूट प्रदाय करने बाबत।

संदर्भ— 1. इस कार्यालय का पत्र कमांक/पूक्षे/मुमप्र/वाणिज्य/राजस्व/555 दिनांक 24.03.18
2. सदस्य सचिव, म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर का पत्र कमांक 4511 दिनांक 26.03.2018

दिनांक 14 अप्रैल 2018 (शनिवार) को होने वाली नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135, 138 एवं 126 के अंतर्गत लंबित प्रकरणों में समझौता करने हेतु छूट संबंधी प्रावधान इस कार्यालय के पत्र कमांक 555 दिनांक 24.03.18 के माध्यम से जारी किये गये थे।

सदस्य सचिव, म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा पत्र कमांक 4511 दिनांक 26.03.18 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार, दिनांक 14 अप्रैल 2018 को डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती होने के कारण उक्त दिनांक को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत की तिथि परिवर्तित की जाकर दिनांक 22 अप्रैल 2018 (रविवार) नियत की गई है। नेशनल लोक अदालत की तिथि परिवर्तन (22 अप्रैल 2018) के अतिरिक्त अन्य समस्त निर्देश यथावत रहेंगे।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में लोक अदालत की परिवर्तित तिथि दिनांक 22 अप्रैल 2018 में समझौता करने के लिये पत्र कमांक 555 दिनांक 26.03.2018 के माध्यम से जारी छूट के प्रावधान यथावत रहेंगे।


मुख्य महाप्रबंधक (वाणिज्य)

प्रतिलिपि:—

1. सदस्य सचिव, म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर।
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग, भोपाल।
3. मुख्य महाप्रबंधक(मा.सं.एवं प्रशा.)/कार्य/प्रवर्तन म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. जबलपुर।
4. मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. जबलपुर।
5. प्रमुख (सी.एस.एंड ए.) म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. जबलपुर।
6. अधीक्षण अभियंता (संचा/संधा)/(शहर) म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.....
7. कार्यपालन अभियंता (संचा/संधा)/(शहर) म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.....
8. वरिष्ठ /क्षेत्रीय लेखाधिकारी, म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.....
9. जन संपर्क अधिकारी, म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि जबलपुर।
10. निज सचिव/स्टाफ आफिसर, संबद्ध प्रबंध संचालक, म.प्र.पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमि./पूर्व क्षेत्र/मध्य क्षेत्र/पश्चिम क्षेत्र, विद्युत वितरण कंपनी लिमि. जबलपुर/भोपाल/इंदौर

टीप:— कमांक-6 के लिये— अधीक्षण अभियंता इस पत्र की प्रति अपने अधीनस्थ कार्यपालन अभियंता /सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता स्तर तक प्रेषित कर परिपालन सुनिश्चित करें।



म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी, लिमिटेड,
पंजीकृत कार्यालय, ब्लॉक नं.-07, प्रथमतल, शक्तिभवन रामपुर, जबलपुर

क्रमांक पूक्षे/वाणिज्य/राजस्व/लोक अदा./602 जबलपुर, दिनांक ९/04/2018
प्रति,

मुख्य अभियंता (जक्षे/साक्षे/रीक्षे)
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.,
जबलपुर/सागर/रीवा

विषय: नेशनल लोक अदालत दिनांक 22 अप्रैल 2018 के लिये नोडल अधिकारियों की नियुक्ति बाबत।

000

प्रदेश में दिनांक 22 अप्रैल 2018 (रविवार) को होने वाली नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135, 138 एवं 126 के अन्तर्गत लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि. जबलपुर की ओर से मान. लोक अदालत के समक्ष कंपनी का पक्ष रखने हेतु निम्नानुसार नोडल अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं :-

- | | |
|--------------------------------|---|
| 01. मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर | मुख्य महाप्रबंधक (प्रवर्तन) पूर्व क्षेत्र, जबलपुर |
| 02. वृत्त मुख्यालय पर - | अधीक्षण अभियंता (संचा/संधा)/(शहर) |
| 03. संभागीय मुख्यालय पर- | कार्यपालन अभियंता (संचा/संधा)/(शहर) |
| 04. अन्य मुख्यालय पर - | अधीक्षण अभियंता द्वारा नामित अधिकारी |

उक्त नोडल अधिकारी माननीय लोक अदालत की कार्यवाही में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मान. न्यायाधीशों से समन्वय स्थापित करते हुये कंपनी का पक्ष प्रस्तुत कर अधिक से अधिक संख्या में विद्युत प्रकरणों का निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें।


मुख्य महाप्रबंधक (वाणिज्य)

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव, म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर।
 2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग, भोपाल।
 3. मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं.एवं प्रशा)/(कार्य)/(प्रवर्तन) म.प्र. पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि. जबलपुर।
 4. मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र. पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि. जबलपुर।
 5. मुख्य कम्प्यूटर (सी एस एण्ड ए) म.प्र. पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि. जबलपुर।
 6. अधीक्षण अभियंता (संचा/संधा)/(शहर) म.प्र. पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि.
 7. कार्यपालन अभियंता (संचा/संधा)/(शहर) म.प्र. पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि.
 8. वरिष्ठ/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, म.प्र.पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि.
 9. जन सम्पर्क अधिकारी, म.प्र.पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि. जबलपुर।
 10. निज सचिव/स्टाफ आफीसर, सम्बद्ध प्रबंध संचालक, म.प्र. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमि.
/पूर्व क्षेत्र/मध्य क्षेत्र/पश्चिम क्षेत्र, वि.वि.कं.लि. जबलपुर/भोपाल/इन्दौर
- टीप - (क.-6 के लिये) अधीक्षण अभियंता इस पत्र की प्रति अपने अधीनस्थ कार्यपालन अभियंता /सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता स्तर तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

उप महाप्रबंधक (एलटी)